उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-56/2018/594/92-2-18-07जांच/2014
लखनऊ :: दिनांक:: 17 अप्रैल,2018

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-रायबरेली में राष्ट्रीय माध्यमिक योजना के अंतर्गत निर्मित कराये गये राजकीय हाईस्कूल भवन पश्चिम गांव, विकास खण्ड-हरचन्दपुर की टी0ए0सी0 जांच में पायी गयी अनियमितताओं के लिये प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-203/92-2-15-07जांच/2014 दिनांक 11-03-2015 द्वारा श्री एस0पी0 पाण्डेय, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, प्रखण्ड-रायबरेली के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक जांच संस्थित की गयी। कालान्तर में उक्त अनुशासनिक कार्यवाही को शासनादेश संख्या-34/2018/176/92-2-18-07जांच/14 दिनांक 16-02-2018 द्वारा श्री पाण्डेय पर कोई आरोप सिद्ध न पाये जाने के द्रष्टिगत बिना किसी दण्ड के समाप्त कर दिया गया है। प्रकरण में श्री पाण्डेय से वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग-2(4) के नियम-54(ख) के उपनियम-3 में निहित व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त प्रत्यावेदन दिनांक 25-02-2018 पर सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा उनके निलम्बन अविध दिनांक 01-09-2017 से 10-10-2017 तक के अवशेष वेतन/भत्तों का भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया है। श्री पाण्डेय के उक्त निलम्बन अवधि को उनकी कर्तव्यार्थ सेवा में व्यतीत की गयी अवधि मानी जायेगी।

अनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से,

वी0के0 सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-56/2018/594/(1)/92-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
2- श्री एस0पी0 पाण्डेय, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-रायबरेली द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in